फर्द अहकाम

नियम 26

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ (राज0)

अनवानी ताराचंद बनाम महावीर आदि

किस्म मुकदमा 251 ए आर.टी.ए. मु.न. 160/2023

	हुक्म कार्यवाही विवरण
28/1/25	पत्रावली आज नियत निर्णय पर पेशी में ली गई। अनवानी प्रार्थना पत्र में बहस उभयपक्ष दिनांक 02.01.2025 को सुनी जा चुकी है। प्रार्थी ताराचंद ने दिनांक 19.6.2023 को जरिये **अधिवक्ता श्री खुशप्रीत सिंह** प्रार्थना पेश कर याचित किया है कि चक 8 केएसपी खाता सं. 62/5 में प.न. 164/313 मु.न. 15 कि.न. 7 ता 10 में दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम 0.013 है. रास्ता प्रत्येक किले से स्वीकृत किए जाने का निवेदन किया है। जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि चक 8 केएसपी खाता सं. 62/5 प.न. 164/313 मु.न. 15 कि.न. 7 ता 10 अप्रार्थी सं. 1 महावीर व अप्रार्थी सं. 2 संजय गोदारा की संयुक्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। उक्त अप्रार्थीगण जरिये **अधिवक्ता श्री मनोज झोरड** उपस्थित होकर अपने जवाब प्रार्थना के समर्थन में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा याचित कि.न. 7 ता 10 में रास्ता स्वीकृत किया जाना कतई न्यायसंगत नहीं है, क्योकिं प्रार्थी के निकटतम रास्ता प.न. 164/313 मु.न. 14 कि.न. 5, 6, 15 ,16 ,25 में उत्तर से दक्षिण व प.न. 164/314 मु.न. 31 कि.न. 1 ता 5 में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर स्वीकृत चालू रास्ता है। जिससे प्रार्थी की भूमि निकटतम दूरी पर स्थित है; इसलिए कि.न. 7 ता 10 में रास्ता स्वीकृति का प्रार्थी हकदार नहीं है। प्रार्थी प.न. 164/313 कि.न. 6/1, 7, 8 के दक्षिण सीमा पूर्व से पश्चिम रास्ता स्वीकृत करवाने का हकदार है या अन्य विकल्प प.न. 165/313 कि.न. 11, 20, 21 के पश्चिम दिशा की तरफ उत्तर से दक्षिण दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। जो नजदीक है। हस्तगत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 23.05.2024 द्वारा बिंदू सं. 6 में वैकल्पिक मार्ग के रूप में प.न. 165/313 कि.न. 6/1, 7, 8 दक्षिण सीमा पर पूर्व से पश्चिम या प.न. 165/313 कि.न. 11, 20, 21 में पश्चिम दिशा उत्तर से दक्षिण सुझाया गया है व निकटतम दूरी होने का अंकन किया गया है। तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा प.न. 165/313 कि.न. 6/1, 7, 8 या प.न. 165/313 कि.न. 11, 20, 21 में से अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.5.24 द्वारा सुझाया गया रास्ता व नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया, प्रार्थी का कथन है कि स्वीकृत रास्ता कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मुरब्बा लाइन के अंदर होने से नजदीक है जबकि मु.न. 31 का कि.न. 1 ता 5 में स्वीकृत रास्ता कि.न. 6 ता 8 के वनिस्पत अधिक दूरी पर है। न्यायालय इस बिंदू पर सहमत है कि प्रार्थी द्वारा अपने संसोधित प्रार्थना पत्र के अनुतोष में कि.न. 6/1, 7, 8 में से रास्ता याचित किये जाने का अनुतोष चाहा क्योकि कि.न. 11, 20, 21 से याचित रास्ता नजदीकी दूरी का साबित नहीं हो रहा है, हालांकि अप्रार्थी सं. 3 द्वारा यह रास्ता नजदीकी होने का कथन किया जा रहा है। अप्रार्थी सं. 3 जरिये अधिवक्ता श्री सो[illegible] द्वारा अपने जवाब प्रार्थना के समर्थन में कथन किया कि चक [illegible] 4/313 मु.न. 15 कि.न. 17, 24 में स्वीकृतशुदा चालू रास्ता है जो प्रार्थी की भूमि से मात्र 1 बीघा की दूरी पर स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त स्वीकृतशुदा रास्ते को जानबूझकर अपने प्रार्थना पत्र में नहीं दर्शाया गया है, नजरी नक्शा दिनांक 26.6.24 का अवलोकन करवाया गया। तहसीलदार हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Manish Lal
Date: 2025.05.31 14:53:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

द्वारा पुनः प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 5.11.2024 का अवलोकन किया गया जिसमें निकटतम दूरी का रास्ता प.न. 165/313 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 से लिंक स्वीकृत रास्ता 16.5 फीट चौड़ा होना अंकित किया है व अन्य एक प.न. 164/313 कि.न. 17/1, 24/4 में भी स्वीकृतशुदा रास्ता 8.25 फीट चौड़ा होने का अंकन किया गया है तथा इसी रिपोर्ट के बिंदू सं. 7 में तहसीलदार ने स्पष्ट अंकन किया है कि कि.न. 6/1, 7, 8 में से रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है जो प्रार्थी की आराजी से 478.5 फीट की दूरी पर है व सुविधाजनक है।

हमने बहस उभयपक्ष सुनसमझ कर मनन किया। तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा प्रेषित दोनों मौका रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन किया। 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एक संक्षिप्त विचारण है जिसमें मुख्य तीन स्तम्भ रास्ता लघुतम दूरी का होना, वैकल्पिक मार्ग का नहीं होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना आवश्यक आधार है जो हस्तगत प्रार्थना पत्र में साबित नहीं हो रहा है। इसके अलावा तहसीलदार हनुमानगढ ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 23.05.2024 के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 14.5.2024 में प्रश्नगत मु.न. 15 के कि.न. 17, 24 में स्वीकृतशुदा रास्ता होने का अंकन नही किया है जो याचित रास्ता के नजदीकी स्वीकृतशुदा रास्ता भी है व आर.टी.ए 251 ए के प्रावधानों के अनुरूप भी है। न्यायालय के मत में किया जाना अति-आवश्यक था। पुनः रिपोर्ट तलब किए जाने पर पत्रांक 641 दिनांक 5.11.2024 में कि.न. 17/1, 24/4 में स्वीकृत रास्ता होने का अंकन तहसीलदार द्वारा किया गया है लेकिन इसी रिपोर्ट के बिंदू सं. 7 में कि.न. 6/1, 7, 8 में रास्ता स्वीकृत किया जाना सुविधाजनक होने का अंकन किया गया है। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि आर.टी.ए 251 ए के प्रावधानों में सुविधा की दृष्टि से रास्ता स्वीकृत किए जाने के उपबंध उपलब्ध नहीं है।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत अपनी आराजी में पहूंच हेतु धारा 251 ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए याचित रास्ता लघूत्तम दूरी का याचित कर प्रश्नगत मु.न. 15 कि.न. 17, 24 व मु.न. 14 कि.न. 11 ता 25 के हितबद्ध खातेदारान काश्तकारान को पक्षकार संयोजित शीर्षक कर संसोधित शीर्षक पेश करे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते संसोधित शीर्षक व तलबी शेष के दिनांक 24-2-2025 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.05.31 14:53:26 IST
Reason: SelfAttested

24.2.25

10.3.25